सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 143/18 **निर्णय दिनांकः 25.05.2018**

1. भंवरसिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत निवासी सूरतसिंहपुरा तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 03—10—2012
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 14—12—1990 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन रकबा मोहरबन्द श्रेणी में अन्य को आवंटन होने के कारण का अन्य रकबा दिये जाने बाबत इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

कोलायत के चक 16 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 98/02 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 98/03 के किला नम्बर 1 ता 21 में 21 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 46 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट में अन्य को आवंटित कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को मोहरबन्द गजट में आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में खारिज कर दी गई व बाद में अन्य व्यक्ति को मोहरबन्द गजट में आवंटित कर दी गई।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन किये जाने के पश्चात् अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट में प्रकाशित होने की कोई सूचना अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई। जबकि भूमिही आवंटन श्रेणी व मोहरबन्द आवंटन दोनों अलग—अलग आवंटन श्रेणियॉ है। मोहरबन्द आवंटन के लिए भूमि को अलग से राजपत्र अथवा गजट में प्रकाशित किया जाता है उसके पश्चात् ही उक्त भूमि का आवंटन किया जाता है। जबकि अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भूमिहीन श्रेणी के तहत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट अन्यत्र भूमि आवंटन का पात्र है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—12—1990 के विरूद्व अपील 09—02—2018 को पेश की है। जो कि विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—12—1990 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 09—02—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने भूमिहीन श्रेणी में आवंटन के तहत तहसील कोलायत के चक चक 16 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 98/02 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 98/03 के किला नम्बर 1 ता 21 में 21 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 46 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 30—03—1984 को आवंटित वादगत् भूमि किश्तों के अभाव में दिनांक 14—12—1990 को खारिज होकर अन्य व्यक्ति को मोहरबन्द श्रेणी में आवंटित हो चुकी है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत्

भूमि के बाबत् संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश क्रमांक 5027 दिनांक 14—12—1990 के द्वारा किश्तों के अभाव में निरस्त कर दिया गया है।

(4) प्रकरण में संबंधित पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द श्रेणी में अन्य को आवंटित हो चुकी है। अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि सामान्य श्रेणी में आवंटन हुई थी ऐसी स्थिति में मोहरबन्द श्रेणी में अन्य को आवंटित होने के कारण वह अन्यत्र भूमि पाने का अधिकारी है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादगत् भूमि किश्तों के अभाव में खारिज की जा चुकी है व कालांतर में वादगत् भूमि मोहरबन्द श्रेणी हेतु आरक्षित होकर मोहरबन्द श्रेणी में अन्य को आवंटित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अन्यत्र भूमि पाने का अधिकारी नहीं है।

(5) प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि जो कि किश्तों के अभाव में दिनांक 14—12—1990 को खारिज की जा चुकी थी। अपीलांट द्वारा अपने आवंटन खारिज करने के इतने लम्बे अंतराल के उपरान्त इस आधार पर अन्यत्र भूमि की मांग की जानी की वादगत् भूमि मोहरबन्द गजट में अन्य को आवंटित की जा चुकी है, युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 14—12—1990 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर